न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
122/2025	11.06.2025	19.11.2025

अनवान

1. शान्ताबाई पत्नी हरिवल्लभ जाति ब्राह्मण आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. किशन पिता भोलीराम जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. सुमित्रा देवी पत्नी स्व. कृष्णगोपाल जाति कांकड़ा आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. प्रेमलता पत्नी रामेश्वरलाल जाति कांकड़ा आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
4. रतन पिता लक्ष्मण जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. गोपाल पिता लक्ष्मण जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. नारायण पिता मोहन जाति माली आयु बालिग निवासी भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बंशीलाल पिता गणेशराम जाति माली आयु बालिग निवासी भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. बगदुजी पिता स्व. देवकिशन जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. घीसुलाल पिता स्व. रामचन्द्र जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. सोहनलाल पिता स्व. मांगीलाल जाति माली आयु बालिग निवासी भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. प्रकाश पिता स्व. बालुलाल जाति माली आयु बालिग निवासी भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. नाथुलाल पिता बालुलाल जाति माली आयु बालिग निवासी भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. रतनलाल पिता स्व. मोहनलाल जाति माली आयु बालिग निवासी भोपालखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. मदन पिता बंशीलाल जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. ललित पिता बंशीलाल जाति माली आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
16. समीर अली पिता स्व. सैयद मुक्तार जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच — प्रार्थी
अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार — अप्रार्थी सं0 6, 10
एकतरफा — शेष अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 1620 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2646, 2647, 2648, 2656, 2657, 2658, 2659 कुल किता 12 कुल रकबा 2.30 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 14.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 व 11 से 16 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्राथी संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 1620 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2646, 2647, 2648, 2656, 2657, 2658, 2659 कुल किता 12 कुल रकबा 2.30 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला-चित्तौडगढ